न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 76/2017

चंदिया पुत्र रूड़ाराम, जाति बावरी, निवासी अराईयावाली तहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलांट

बनाम

1. रूकमा देवी पत्नी बींझाराम
2. कृष्णा देवी पुत्र बींझाराम
3. माया देवी पुत्र बींझाराम
4. तुलसी पुत्री बींझाराम
5. राधेश्याम पुत्र बींझाराम
6. सोमदेव पुत्र बींझाराम

जाति बावरी निवासीगण 10 सरकारी तह. श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

7. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 रा. का. अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

दिनांक 25.05.2017

उपस्थितिः—

श्री मोहनलाल माहर, अभिभाषक अपीलांट
श्री रामगोपाल स्वामी, अभिभाषक रेस्पों.
श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :— 22.08.17

22/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिहंनगर के समक्ष पेश किया । जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर कथन किया कि वादी ने जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 16.08.1971 को अप्रार्थी सं. 1 ता 6 के पति/पिता बींझा के जीवनकाल में बींझा को पूर्ण प्रतिफल देकर चक 25 एफएफ हाल 25 एफएफबी के मु. नं. 39 नया मु. नं. 40 प. नं. 227/232 के कि. नं. 1 ता 15 की 12 बीघा भूमि यानी 3.0350 है. भूमि क्रय की थी । खरीद करने के दिन से ही प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है । बैयनामा के आधार पर राजस्व अभिलेख में अंकन करने का दायित्व अप्रार्थी सं. 7 का था बींझाराम द्वारा भूमि प्रार्थी को विक्रय करने के पश्चात् बींझा के वारिसान का इस भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं रहा । राजस्व रिकॉर्ड में बैयनामा के आधार पर अंकन नहीं होने के आधार पर उक्त भूमि बींझा राम के नाम से चली आ रही है । अब बींझाराम के वारिसान उक्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल करना चाहते हैं एवं राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। यदि ऐसा करने में वे सफल हो गये तो प्रार्थी वादी के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार करते हुए वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे प्रार्थी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें एवं किसी प्रकार से रहन बय आदि द्वारा अंतरण नहीं करें।

22/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि बींझाराम द्वारा उक्त भूमि का बेचान कभी भी प्रार्थी को नहीं किया न ही कब्जा दिया बल्कि कब्जा काश्त अप्रार्थीगण का चला आ रहा है । प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत बैयनामा फर्जी व कूटरचित है जिससे उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है । वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि बींझाराम के नाम से दर्ज है । प्रार्थी का विवादित भूमि का खातेदार नहीं है । प्रार्थी का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने दिनांक 25.05.2017 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि बींझाराम से अपीलांट द्वारा जरिए बैयनामा कय की है एवं बैयनामा के आधार पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है । अपीलांट ने बैयनामा के आधार पर घोषणा का दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिसके साथ 212 आर.टी. ए. का प्रार्थना पत्र पेश किया । बैयनामा सही है या नहीं इसका निर्णय मूल दावा में तय होगा । यदि दावा के निर्णय से पूर्व विवादित भूमि को रेस्पो. द्वारा रहन बैय आदि द्वारा अन्तरण कर दिया जाता है तो अपीलांट के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आरबीजे 2016 पेज 468, आरआरडी 2015 पेज 497, आरआरडी 1996 पेज 90, आरआरटी 2016 पेज 1084 के न्याय दृष्टांत पेश किए ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि बींझाराम द्वारा भूमि का बेचान अपीलांट को कभी नहीं किया। आज भी राजस्व रिकॉर्ड में भूमि बींझाराम के नाम से दर्ज है । बैयनामा फर्जी व कूटरचित है जिसके आधार पर अपीलांट को कोई अधिकार नहीं मिलते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

यह अपील उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 25.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील का सार बिन्दु यह है कि विवादित आराजी अपीलांट की रजिस्टर्ड बैयनामे द्वारा क्रयशुदा आराजी है, बैयनामे के आधार पर घोषणात्मक दावा अधीनस्थ न्यायालय में लंबित, जो गुणावगुण के आधार पर निर्णित होने पर नामान्तरकरण की कार्यवाही की जायेगी। वही बेचानकर्ता बींझाराम की मृत्यु हुए भी 20 वर्ष हो गये । मृत्यु उपरान्त रेस्पों. के भी नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से वे भी खातेदार नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें खातेदार

22/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

मानकर वादी/अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र गलत ढंग से खारिज किया है जो अभिभाषक अपीलांट द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का अनुतोष चाहा, जिसका प्रतिकार करते हुए अभिभाषक रेस्पों. ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के Text की व्याख्या करते हुए जाहिर किया कि विवादित भूमि बींझा वल्द उमा कौम बावरी की खातेदारी में दर्ज है । अप्रार्थी सं. 1 ता 6 (रेस्पो.) बींझा की पत्नी/पुत्र, पुत्रियां हैं अर्थात रिकॉर्डेड खातेदार कृषक के वारिस होने से रिकॉर्डेड खातेदार कृषक की हैसियत रखते हैं न कि रिकॉर्डेड खातेदार है । यही नहीं रेस्पों. अभिभाषक द्वारा रा. का. अ. 1955 की धारा 212 की Bare reading का भी पठन किया । जिसमें भी अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधारणा में खातेदार या Non खातेदार की इबारत नहीं है तथा अपीलांट द्वारा रेस्पों. को बींझाराम के वारिस होने से इनकार नहीं किया । अतः गुणावगुण के आधार पर भी अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र न केवल सही ढंग से खारिज किया है अपितु उन्हें पाबन्द किया जाना उचित था जो नहीं किया है । अब अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का अनुरोध किया।

अपीलांट अभिभाषक द्वारा इस बिन्दु पर न्याय सिद्धान्त पेश किए कि रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है परन्तु न्याय सिद्धान्त आरबीजे 2016 पृष्ठ 468 Revision No. 5344/2015 & Col Satprakash Vs Harjosh singh

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांक 27.06.2016 (Held Preservation of Property), RRD 2015 Page 497 Jaipur vikas Pradhikaran Vs Bhori Devi and other (No bar to grant TI against khatedar), आरआरडी 1996 पेज 90 जौहरी बनाम रामदयाल निर्णय दिनांक 18.04.1995 (TI can be granted against khatedar), आरआरटी 2016 पेज 1084 मोहम्मद रफीक बनाम सलीम निर्णय दिनांक 27.10.2015 Protection of property dilay of court.

उक्त न्याय दृष्टांतों का अध्ययन किया जिसमें प्रतिपादित सिद्धान्तों से यह न्यायालय भिन्न मत नहीं रखता परन्तु अस्थाई निषेधाज्ञा के Principles में खातेदार होना या न होना एक कारक हो सकता है जो अस्थाई निषेधाज्ञा के 3 Ingredients (A) Primafacie case (B) Irrepareble injury (C) balance of convenience के विवेचन के सिद्धान्तों को साबित करने में सहायक हो सकते हैं। अतः प्रस्तुत न्याय सिद्धान्त अपीलांट की कोई मदद नहीं करते। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.05.2017 में कोई हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 31.05.2017 अपास्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

22/8/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)